

कोड संख्या

सेवा में,

उप-कुलसचिव (लेखा एवं वित्त),
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

अन्तिम तिथि : 10.10.2025

विषय :- भ्रमण ऋण दिलवाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि विशेष अवकाश में मैं भ्रमण पर जाना चाहता हूँ/चाहती हूँ। इस हेतु कृपया नियमानुसार मुझे भ्रमण ऋण की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। मुझे यह ज्ञात है कि भ्रमण ऋण आई.सी.आई.सी.आई. बैंक बापू नगर जयपुर द्वारा पूर्व वर्षों की शर्तों के अनुरूप रा0 वि0 वि0 जयपुर द्वारा स्वीकृत किया जायेगा जिस पर पूर्व निर्धारित दर से ही ब्याज देय होगा अतः ब्याज सहित ऋण की राशि दस सप्ताह कीस्तों में मेरे मासिक वेतन से काटने की स्वीकृति देता हूँ/देती हूँ। अगर मेरे नाम इस मद की कोई पिछली राशि बकाया पायी जाये तो उसे इस ऋण में से एक मुश्त काटने की भी स्वीकृति देता हूँ/देती हूँ।

उप-कुलसचिव (ले.वि.) को आवश्यक कार्यवाही

नाम :

हेतु अग्रेषित है।

कोड संख्या :

पद :

विभाग :

ऋण राशि 30000/-

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष मय मोहर

खाता संख्या :

बैंक एवं शाखा का नाम :

मोबाईल नम्बर :

भवदीय

(कर्मचारी के पूरे हस्ताक्षर)

आवश्यक नोट :-

1. यह सुविधा प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में कार्यरत कर्मियों एवं आगामी 1 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों पर लागू नहीं है।
2. फार्म पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा हुआ होना चाहिये। हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष मय मोहर के अति आवश्यक है। अपूर्ण फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। ऋण दस किस्तों में ही कटेगा, बीच में जमा करना किसी भी परिस्थिति में सम्भव नहीं होगा। यह ज्ञात रहे कि बैंक का नाम, शाखा का नाम व खाता संख्या सही उल्लेख करें अन्यथा कठिनाई हो सकती है। ऋण आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2025 तक निश्चित रूप से लेखा एवं वित्त विभाग-प्रथम में प्रस्तुत करने होंगे, इसके पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।